रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933
No. 342] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2012

का.आ. 383(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. प्रधान सचिव या सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव या संचिव, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —सदस्य
3. प्रधान सचिव या सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —सदस्य
4. आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —सदस्य
5. प्रधान सचिव या सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —सदस्य
6. नगरपालिका आयुक्त, नगर निगम, वृहत्त मुंबई, मुंबई । —सदस्य
7. डॉ. एम. बाबा, भूतपूर्व निदेशक, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवंनतपुरम । —सदस्य
8. डॉ. इंगोल बाबन, वैज्ञानिक 'जी', राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, गोवा । —सदस्य
9. डॉ. एम. सी. देव, निदेशक, वीजेटीआई, माटूंगा, मुंबई । —सदस्य
10. निदेशक, केन्द्रीय मात्सिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई । —सदस्य
11. डॉ. महेश शिन्दकर, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग, इंजीनियरी कॉलेज, पुणे । —सदस्य
12. कोई अधिकारी जो उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार । —सदस्य सचिव

II. प्राधिकरण को महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन और तटीय जोन प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्रस्तावों की समीक्षा और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार उसकी दृष्टि से तटीय विनियमन जोन से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;

(ii) (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है के अधिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट मामलों में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उन मामलों में जारी किन्हीं निदेशों से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए उन्हें भेजना :

परंतु केवल पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और पैरा (ii) (ख) के अधीन मामलों को किसी व्यष्टि या किसी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर स्वत: प्रेरणा से लिया जाएगा;

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना, जिससे कि इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित किया जा सके ।

III. तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों प्राधिकरण कार्रवाई करेगा जिसे उसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार को भेजा जा सकेगा ।

IV. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा और प्राधिकरण परियोजनाओं के संरक्षण के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या की संरक्षा आदि के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए समन्वय करेगा ।

V. प्राधिकरण क्षरण या निम्नीकरण से संबंधित बहुत ही अधिक संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं को विरचित करेगा और उनके क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण के लिए प्रबंध करेगा ।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा (V), (VI) और (VIII) के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी परीक्षा और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

VIII. प्राधिकरण, सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और तटीय जोन विनियामक अधिसूचना, 2011 में अधिकथित हैं ।

IX. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास की अवधि में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

X. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई होगी और यदि गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित हो जाएगी और उसे पुन: आहूत किया जाएगा ।

XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन होंगी ।

XII. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय मुंबई में स्थित होगा ।

XIII. प्राधिकरण, राज्य सरकार वित्तपोषण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों/फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता रखेगा ।

XIV. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथापरिकल्पित इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों ।

XV. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान सूचना प्रसार प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के प्रति जागरूकता और समर्थन आदि सम्मिलित हैं और ऐसे उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपोषण आदि जुटाना भी सम्मिलित है ।

XVI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में तटीय क्षेत्रों का तटीय विनियमन जोन के मानचित्रों को तैयार करेगा और इसे राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

XVII. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

XVIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन/अनुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

XIX. वेतन और यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे ।

XX. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रूप में आमंत्रित करेगा ।

XXI. प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर नहीं आने वाले विनिर्दिष्ट रूप से किसी मामले को संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

XXII. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके उसे संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्ग्रहण कर सकेगा जो कि एक प्रदूषक सिद्धांतत: संदाय करता है ।

XXIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के लिए सभी मामलों पर उसे प्राप्त हुए उसको निर्दिष्ट हुए या उसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर प्रक्रिया करेगा ।

[फा. सं. 12-2/2005-आईए-III]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 6th March, 2012

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely :—

1. Principal Secretary or Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra. —Chairperson
2. Principal Secretary or Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra. —Member
3. Principal Secretary or Secretary, Urban Development Department, Government of Maharashtra. —Member
4. Commissioner Fisheries Department, Government of Maharashtra. —Member
5. Principal Secretary or Secretary, Industries Department, Government of Maharashtra. —Member
6. Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Mumbai —Member
7. Dr. M. Baba, Former Director, Center for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram. —Member
8. Dr. Ingole Baban, Scientist G, National Institute of Oceanography, Goa. —Member
9. Dr. M. C. Deo, Director, VJTI, Matunga, Mumbai. —Member
10. Director, Central Institute of Fishery Education, Mumbai. —Member
11. Dr. Mahesh Shindikar, Applied Science Department, College of Engineering, Pune. —Member
12. Officer not below the rank of Deputy Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra. —Member Secretary

II. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Maharashtra, namely :—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Maharashtra State Government and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the provisions of Coastal Regulation Zone notification, 2011;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under Section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (ii) (a) and (ii) (b) of paragraph II only be taken up *su motu* on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

(iii) filing complaints under Section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order;

(iv) to take action under Section 10 of the said Act so as to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii) of paragraph II of this Order.

II. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Maharashtra, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

III. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas and the Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection etc.

IV. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

V. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

VI. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs IV, V and VI above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

VII. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra and Coastal Zone Regulation Notification, 2011.

VIII. The Authority shall furnish report of its activities at least once in a period of six months to the National Coastal Zone Management Authority and Ministry of Environment and Forests.

IX. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of the members and in case the quorum is not available the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

X. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XI. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

XII. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds/fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

XIII. The State Government shall ensure that sufficient recources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as envisaged in the Notification and Environment (Protection) Act, 1986.

XIV. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding etc. for the same.

XV. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and Ministry of Environment and Forests.

XVI. The Authority shall regularly review the functioning District Coastal Zone Monitoring Committees.

XVII. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, district collector to ensure the compliance of provisions of Coastal Regulation Zone Notifications and take suitable action in case of violations/non-compliance.

XVII. The pay and allowances such as TA, DA, seating fees, field visit fees etc. shall be as per the norms decided by the Central Government.

XIX. The Authority, whenever required shall invite other export as a member during its meeting.

XX. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

XXI. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

XXII. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in Coastal Regulation Zone Notification, 2011 and clarifications and guidelines issued by the Ministry of Environment and Forests.

[F. No. 12-2/2005-IA-III]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.